# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

**प्रकरण संख्या : 7/2018 एफ एस एस एक्ट**

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता एफबीओ मैसर्सः—निशा ट्रेडिंग कम्पनी, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा तह0 सिकराय, जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप0।
: अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 9.5.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 27.7.2017 को दोपहर 02:00 बजे मैसर्सः— निशा ट्रेडिंग कम्पनी बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान में एक रैक में करीबन 590 ग्राम पैकिंग में पैक 20 पैकिट Backery Vanaspati(Divya kanhaiya) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमे से 4 मूल पैक X 590 ग्राम Backery Vanaspati(Divya kanhaiya) नमूने की जांच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 240 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा मूल पैकिट Backery Vanaspati (Divya kanhaiya) पर चिपकाकर पैकिटो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटो पर डी.ओ व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी. 1704 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

अति0 जिला कलक्टर
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा दिनांक 28.7.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 28.7.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 31.7.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ Backery Vanaspati(Divya kanhaiya) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1697/एक्ट/2017/1768 दिनांक 10.8.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Backery Vanaspati(Divya kanhaiya) का नमूना सबस्टैण्डर्ड व मिसब्राण्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि मेरे द्वारा दिनांक 27.7.2017 को खाद्य पदार्थ Backery Vanaspati (Divya kanhaiya) का नमूना लिया गया था जो कि जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड पाया गया है जबकि आप द्वारा प्रस्तुत बिल नं0 505 दिनांक 15.7.2017 में खाद्य पदार्थ का नाम Khaniya Backery Vanaspati 700 ml लिखा हुआ है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि हमारे पास खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो नमूना लिया गया है उसका बिल नहीं है। कम्पनी द्वारा हमे बिल नं0 505 दिनांक 15.7.2017 ही दिया गया है। यदि किसी प्रकार की कोई कमी उक्त खाद्य पदार्थ में पायी जाती है तो उसके लिये मै स्वयं जिम्मेदार रहुंगा इसलिये प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1697/एक्ट/2017/1768 दिनांक 10.8.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Backery Vanaspati(Divya kanhaiya) सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

अति0 जिला कलक्टर एव
अति0 जि[redacted]जिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 7 / 2018 एफ एस एस एक्ट

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता एफबीओ मैसर्सः—निशा ट्रेडिंग कम्पनी, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा तह0 सिकराय, जिला दौसा द्वारा खाद्य पदार्थ Backery Vanaspati(Divya kanhaiya) सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का विक्रय करने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता एफबीओ मैसर्सः—निशा ट्रेडिंग कम्पनी, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा तह0 सिकराय, जिला दौसा पर 15000 / —(अक्षरे पन्द्रह हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 9.5.2018 के एक माह के अन्दर—अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 9.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / 9086-88
दिनांकः— 9.5.2018

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य ) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता एफबीओ मैसर्सः—निशा ट्रेडिंग कम्पनी, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा तह0 सिकराय, जिला दौसा।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official